

13/07/2024

आज पञ्जावली पेश हुई। भूमिधारी से जॉन
रिपोर्ट अग्रिम। वास्तु इंजीनियर रिपोर्ट पञ्जावली
23/7/24 की पेश की। पुनश्च: जॉन रिपोर्ट
तकशीलवार संभव्युप प्राप्त। मुताबिक रिपोर्ट
थार्थ द्वारा जाचमा पत्र से छान्दित तथा सही हो

ऐसी स्थिति में जर्जना पर स्वीकार योग्य है अतः
जर्जना पर जर्जरी स्वीकार किया जाता है एवं
वांछित शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
बिस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली किया जावे। पत्रावली फंसल शुमार
होकर नम्बर से रुम डी बाद तकमील कारिबल
दाखर की जावे।

निर्णय आज राष्ट्रीय लोक अदालत में
शुनाया गया।

Je
(सदस्य)
लोक अदालत

16
अध्यक्ष
लोक अदालत
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
धरम, सिविल-कोलकाता (अनु०)